

अध्याय 2

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे व्यय के लेखे हैं, जिसमें सरकार के प्रत्येक वर्ष के दत्तमत एवं भारित व्ययों की, विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं भारित विनियोगों की राशियों की तुलना की जाती है। यह लेखे, वास्तविक बजट प्राक्कलन, अनुपूरक अनुदान, समर्पण और पुनर्विनियोग को पृथक रूप से संसूचित करते हैं और बजट के दोनों भारित और दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम में प्राधिकृत व्यय के सापेक्ष विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को इंगित करते हैं। अतः विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों के अनुश्रवण को आसान बनाते हैं और इसलिए वित्त लेखे के पूरक होते हैं।

2.1.2 विनियोगों की लेखा परीक्षा यह जाँच करने का प्रयास करती है कि क्या व्यय विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय, विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार के अन्दर है और जब कभी व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, तब भारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय, विधि संबंधित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया

राज्य का बजट प्राक्कलन वित्त विभाग द्वारा एकरूपता से निर्धारित प्रपत्रों में मुद्रित कर तैयार किए जाते हैं। प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा तैयार प्राक्कलन की जाँच वित्त विभाग द्वारा की जाती है और सरकार के बजट के प्रथम संस्करण के उपस्थापन हेतु संकलित की जाती है। व्यय के नियंत्रण हेतु नियम विहार वित्तीय नियमावली (जिसे झारखण्ड द्वारा अपनाया गया) में समाहित हैं। राज्य के बजट मैनुअल के नियम 112 के अनुसार समस्त अनुमानित बचतों को सरकार को तुरन्त अभ्यर्पित कर देना चाहिए यदि उनका अनुमान किया गया हो तथा वे अन्य किसी इकाई के अधिकाई व्यय को समाहित करने हेतु आवश्यक न हों। भविष्य के संभावित अधिकाई हेतु किसी बचत को नहीं रखा जाना चाहिए। आगे, व्यय की किसी खास नयी इकाई हेतु या दत्तमत अनुदानों के संभावित अधिकाई को आच्छादित करने हेतु वित्त विभाग के परामर्श के बाद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये जाने चाहिए। वर्ष 2011–12 के दौरान अनेक अनुदानों में बड़ी बचतों एवं अधिकयों को देखा गया जो बजट प्रबंधन में कमियों को दर्शाता है जिसे आगे के कंडिका में दर्शाया गया है।

2.3 विनियोग लेखे के सारांश

वर्ष 2011–12 के दौरान 60 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की संक्षेपित स्थिति तालिका 2.1 में दी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2011–12 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति—

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	दत्तमत	कुल	वास्तविक व्यय*	बचत (-) आधिक्य (+)
दत्तमत	(I) राजस्व	21594.22	2384.14	23978.36	18946.42	(-)5031.94
	(II) पूँजीगत	6352.73	327.14	6679.87	3249.84	(-)3430.03
	(III) ऋण एवं अग्रिम	1328.02	79.61	1407.63	217.10	(-)1190.53
कुल दत्तमत		29274.97	2790.89	32065.86	22413.36	(-)9652.50
भारित	(IV) राजस्व	2443.55	16.21	2459.76	2314.36	(-)145.40
	(V) पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(VI) लोक ऋण पुनर्भूगतान *	1403.18	16.28	1419.46	1639.02	(+)219.56
कुल भारित		3846.73	32.49	3879.22	3953.38	(+)74.16
सकल योग		33121.70	2823.38	35945.08	26366.74	(-)9578.34

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे 2011–12

• व्यय के आँकड़े राजस्व दत्तमत व्यय (₹ 269.20 करोड़ तथा पूँजीगत दत्तमत व्यय (₹ 15.07 करोड़) वापसी के समायोजन के बिना सकल आँकड़े हैं।

नोट— वर्ष 2011–12 के दौरान आकर्षिक विपत्रों पर निकासित ₹ 1,470 करोड़ जिनके विरुद्ध विपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ये व्यय अधिवर्णित हैं।

वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹ 9,578.34 करोड़ का बचत ₹ 9,998.50 करोड़ (राजस्व संभाग के अन्तर्गत 55 अनुदानों एवं तीन विनियोगों के मामलों में कुल ₹ 5,377.92 करोड़ एवं पूँजीगत संभाग के 27 अनुदानों के मामले में ₹ 4,620.58 करोड़) का बचत एवं राजस्व संभाग के दो अनुदानों एवं एक विनियोग के अंतर्गत ₹ 420.16 करोड़ आधिक्य के प्रतितुलन का परिणाम था। ₹ 2,823.38 करोड़ का अनुपूरक उपबंध प्राप्त किया गया जबकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से भी कम (29 प्रतिशत) था।

महालेखाकार (ले. एवं हक.), झारखण्ड द्वारा राज्य सरकार को मासिक सिविल लेखा का विवरण के अन्तर्गत शीर्षवार मासिक व्यय की स्थिति उपलब्ध कराई गई। इसके बावजूद, सरकारी विभागों द्वारा बड़े-बड़े बचतों एवं अनुदानों पर आधिक्य व्यय को दूर करने हेतु कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए। वर्ष 2011–12 के दौरान झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे से लिए गए कुल 1168 उप-शीर्षों में से 865 उप-शीर्षों में अंतरों (बचत/आधिक्य) के लिए विभागों द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए।

2.4 वित्तीय दायित्व एवं बजटीय प्रबंधन

2.4.1 वित्तीय आबंटित प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 38 मामलों (31 अनुदानों) में कुल बचत ₹ 8,766.05 करोड़ में प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत या उससे अधिक की बचतें हुईं जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में

दर्शाया गया है। कुल ₹ 9,998.50 करोड़ की बचत में, ₹ 8,618.71 (86 प्रतिशत)¹ 20 अनुदानों के 22 मामलों से संबंधित है जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: ₹ 100 एवं उससे अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान / विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें
राजस्व दत्तमत						
1	1— कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	625.61	26.32	651.93	423.11	228.82
2	10— ऊर्जा विभाग	1074.18	2.81	1076.99	876.89	200.10
3	18—खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	785.42	339.70	1125.12	957.11	168.01
4	20— स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	1086.02	8.21	1094.23	816.30	277.93
5	22— गृह विभाग	2206.56	297.67	2504.23	2248.06	256.17
6	23— उद्योग विभाग	226.90	126.23	353.13	195.72	157.41
7	26— श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	821.05	30.65	851.70	658.63	193.07
8	35— योजना एवं विकास विभाग	230.61	268.71	499.32	207.54	291.78
9	39— आपदा प्रबंधन विभाग	362.61	125.00	487.61	220.73	266.88
10	42— ग्रामीण विकास विभाग	836.37	0.22	836.59	619.59	217.00
11	47— परिवहन विभाग	513.65	310.09	823.74	492.00	331.74
12	51— कल्याण विभाग	750.98	184.21	935.19	626.05	309.14
13	56— पंचायती राज एवं एन.आर.ई.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	1272.30	140.10	1412.40	1102.16	310.24
14	58— माध्यमिक शिक्षा	629.16	46.09	675.25	475.50	199.75
15	59— प्राथमिक एवं जन शिक्षा	3841.88	0.03	3841.91	3039.10	802.81
16	60— समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग	805.57	19.62	825.19	594.72	230.47
पूँजी—दत्तमत						
17	10— ऊर्जा विभाग	1295.00	0.00	1295.00	164.95	1130.05
18	20— स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	341.25	0.00	341.25	163.53	177.72
19	41— पथ निर्माण विभाग	1691.60	5.00	1696.60	796.66	899.94
20	48— नगर विकास विभाग	1003.56	0.00	1003.56	187.50	816.06
21	49— जल संसाधन विभाग	911.30	0.00	911.30	196.61	714.69
22	50— लघु सिंचाई विभाग	656.70	0.00	656.70	217.77	438.93
	कुल	21968.28	1930.66	23898.94	15280.23	8618.71

स्रोत : झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे।

आगे, उपरोक्त अनुदानों में 114 उपशीर्षों/योजनाओं में कुल ₹ 6,968.32 करोड़ (कुल बचत का 70 प्रतिशत) का बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) हुआ। वर्ष 2011–12 में विनियोग लेखे में प्रदर्शित बचत के साथ बचत के कारणों का विवरण परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

अधिकांश मामलों में बचत का कारण नहीं दिया गया है। बड़ी बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

¹ ₹ 100 एवं उससे अधिक बचत

2.4.2 सतत बचतें

10 मामलों में (नौ विभाग) विगत पाँच वर्षों के दौरान (**तालिका 2.3**) प्रत्येक मामलों में कुल अनुदान का 10 प्रतिशत या उससे अधिक की सतत बचतें थीं।

तालिका 2.3: वर्ष 2007–12 के दौरान सतत बचत प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची।

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचतों की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
I	1— कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	165.37(44)	499.65(70)	178.10(44)	181.21(39)	228.82(35)
II	2— पशु पालन विभाग	70.40(39)	58.61(29)	54.21(27)	46.11(22)	31.52(23)
III	10— ऊर्जा विभाग	576.18(82)	234.46(53)	397.74(45)	346.05(39)	200.10(19)
IV	20— स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	301.92(44)	184.31(23)	480.56(45)	178.41(21)	277.93(25)
V	23— उद्योग विभाग	62.70(37)	83.42(42)	73.27(32)	31.89(18)	157.41(45)
Vi	43— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	50.00(34)	76.74(50)	66.06(59)	51.83(41)	40.29(42)
7	49— जल संसाधन विभाग	16.76(11)	17.52(09)	57.85(22)	30.98(13)	83.77(27)
8	51— कल्याण विभाग	112.62(15)	219.46(23)	304.76(28)	208.83(16)	309.14(33)
पूँजी दत्तमत						
9	41— पथ निर्माण विभाग	241.24(44)	88.05(14)	230.19(31)	146.70(18)	899.94(53)
10	49— जल संसाधन विभाग	148.08(20)	254.29(48)	277.49(56)	153.71(40)	714.70(78)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे
(कोष्ठक के अंक कुल अनुदान के सापेक्ष प्रतिशत बचत प्रदर्शित करती है)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विशाल बचतें वर्षों से जारी रहीं जो अनुदानों के अन्तर्गत अनुचित आकलन को इंगित करती हैं।

2.4.3 वर्ष 2011–12 के दौरान नियमन योग्य आधिक्य प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिए अनुदानों/विनियोगों से आधिक्य को राज्य विधायिका द्वारा नियमित करवाना आवश्यक है।

तालिका 2.4 में वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य विधायिका द्वारा राज्य के संचित निधि से अनुमोदन के विरुद्ध एक विनियोग एवं दो अनुदानों में कुल ₹ 420.16 करोड़ के आधिक्य का सारांश अन्तर्विष्ट है जिसे संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत नियमित किया जाना आवश्यक है।

तालिका 2.4: वर्ष 2011–12 के दौरान नियमन योग्य आधिक्य प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
	भारित विनियोग			
1	14— ऋण की अदायगी	1419.46	1639.02	219.56
	दत्तमत अनुदान			
2	15— पेंशन	2096.09	2296.69	200.60
3	25— सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	14.70	14.70	*
	कुल	3515.55	3935.71	420.16

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वर्ष 2011–12 के विनियोग लेखे

* आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160

उपरोक्त अनुदानों/विनियोग में कुल ₹ 420.16 करोड़ का आधिक्य अनुदानों/विनियोग के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत या तो बिना बजट के या बजट से आधिक्य के कारण।

2.4.4 विगत वर्षों से संबंधित नियमन हेतु प्रावधानों से अधिक व्यय

वर्ष 2001–02 से 2010–11 के लिए ₹ 8,120.63 करोड़ का प्रावधान से अधिक व्यय को संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार नियमित किया जाना अभी भी शेष है जिसे परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है। नियमन हेतु लंबित वर्षवार आधिक्य व्यय की राशि का सारांश तालिका 2.5 में दिया गया है। वर्षों तक अनुदानों/विनियोगों का नियमित नहीं होना विनियोगों पर वित्त-विधायी नियंत्रण का उल्लंघन है।

तालिका 2.5: विगत वर्षों से संबंधित नियमन योग्य आधिक्य

(₹ करोड़ में)

	संख्या		प्रावधान से अधिक की राशि
	अनुदान	विनियोग	
2001-02	3, 25, 32	-	0.04
2002-03	10, 32	13,14	1241.49
2003-04	10, 39,46	13,14	937.25
2004-05	23,39,40	13,14	576.07
2005-06	10, 29	13	3121.47
2006-07	38	13,14	1245.87
2007-08	15	14	334.44
2008-09	12	14	228.89
2009-10	-	14	116.71
2010-11	-	13,15,32	318.40
	कुल		8120.63

स्रोत: झारखण्ड सरकार के विनियोग लेखे

2.4.5 अनावश्यक / अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 45 मामलों में कुल ₹ 1,574.56 करोड़ का प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं आया जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है। इन सभी मामलों में यह देखा गया कि कुछ उपशीर्षों के अन्तर्गत मूल आबंटन समाप्त नहीं हुए और इन उपशीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक बचतें हुईं।

2.4.6 निधियों का अत्यधिक / अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

अनुदान के भीतर एक इकाई जहाँ बचत पूर्वनुमानित है से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, में निधि का अंतरण पुनर्विनियोग होता है। वर्ष 2011–12 के दौरान 25 उपशीर्षों जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में दर्शाया गया है अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अपर्याप्त या अत्यधिक साबित हुआ। नौ योजनाओं / उपशीर्षों में से ₹ 13.16 करोड़ को दूसरे उपशीर्षों योजनाओं में पुनर्विनियोजित किया गया जिसके फलस्वरूप उन योजनाओं पर ₹ 4.51 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। साथ ही 11 योजनाओं / उपशीर्षों में ₹ 15.51 करोड़ का अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 4.95 करोड़ की बचत हुई। यह भी देखा गया कि ₹ 17.01 करोड़ पाँच योजनाओं / उपशीर्षों में पुनर्विनियोजित किया गया, जो उन योजनाओं पर ₹ 1.47 करोड़ का अधिक व्यय के कारण अपर्याप्त साबित हुआ।

2.4.7 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

छ: मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उनसे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी जो उन विभागों पर अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को विनिर्दिष्ट करती है। ₹ 1,309.92 करोड़ के बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 1,323.77 करोड़ था जिसके फलस्वरूप ₹ 13.85 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ। इसका विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दिया गया है।

2.4.8 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण नहीं करना

बजट नियमावली के नियम 112 के अनुसार व्यय करने वाले विभाग द्वारा जब भी बचत प्रत्याशित हो, अनुदानों / विनियोगों या उसके किसी भाग का अभ्यर्पण वित्त विभाग को किया जाना अपेक्षित है।

33 अनुदानों / विनियोजनों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बचतों (प्रत्येक अनुदानों / विनियोजनों में एक करोड़ और इससे अधिक बचत) में कुल ₹ 6,990.33 करोड़ में से ₹ 1,955.57 करोड़ (कुल बचत का 28 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है। इसके अलावा 79 मामलों में जिसमें अभ्यर्पण की राशि प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक था, ₹ 3,252.83 करोड़ (**परिशिष्ट 2.8**) का अभ्यर्पण मार्च 2012 के अंतिम दो कार्य दिवस में किया गया जिससे इन निधियों का अन्य विकासपरक उद्देश्यों में उपयोग करने का कोई अवसर नहीं रहा। यह कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण को इंगित करती है।

2.4.9 व्यय का वेग

बजट नियमावली के नियम 113 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के वेग से बचना चाहिए। बजटीय नियंत्रण की प्रमुख आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यय की समरूप प्रवाह आवश्यक है। इसके बावजूद **परिशिष्ट 2.9** में सूचीबद्ध 26 शीर्षों में वर्ष 2011–12 के अंतिम तिमाही में व्यय (प्रत्येक मामलों में ₹ 20 करोड़ से अधिक) वर्ष के कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक था। **तालिका 2.6** में भी वैसे 16

प्रमुख शीर्षों जिसमें बजट नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया गया, दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.6: वर्ष 2011–12 के अंत में व्ययों के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही में खर्च		मार्च 2012 में व्यय	
			राशि	कुल व्यय से प्रतिशत	राशि	कुल व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	2053	331.57	237.77	72	190.32	57
2	2225	623.99	397.79	64	336.03	54
3	2230	127.44	88.97	70	78.26	61
4	2401	303.70	211.34	70	165.14	54
5	2404	60.82	50.32	83	35.12	58
6	2425	138.48	104.06	75	96.16	69
7	2515	1389.17	889.36	64	778.33	56
8	2810	35.00	35.00	100	35.00	100
9	2852	86.34	57.80	67	54.64	63
10	3053	66.67	66.47	100	66.43	100
11	3075	450.25	450.25	100	450.25	100
12	4055	105.19	93.67	89	60.91	58
13	4202	75.98	55.53	73	48.07	63
14	4217	176.09	162.62	92	160.86	91
15	4225	204.20	193.26	95	169.07	83
16	4701	85.97	64.75	75	49.35	57

स्रोत: अभिश्रव स्तर कांगूटाइजेशन डाटाबेस

यह देखा गया कि राज्य बजट द्वारा प्रमुख शीर्षों “2810” – ऊर्जा का अपरंपरागत श्रोत नये एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए” 3053– सिविल ऊर्जा विमानन प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए’ और “3075– यातायात, जनजातीय क्षेत्र उप–योजनाओं के तहत रेलवे को लाभांश राहत एवं अच्युत आकर्षिक व्यय के लिए “उपलब्ध करायी गई, सम्पूर्ण निधियों का व्यय मार्च 2012 में किया गया।

2.5 विभागीय आँकड़ों का असमायोजन

बिहार वित्तीय नियमावली जिसे झारखण्ड राज्य द्वारा अपनाया गया, के वित्तीय नियम 475 (viii) विनिर्दिष्ट करती है कि विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर कारगर नियंत्रण तथा इसे बजटीय अनुदान के भीतर रखने एवं लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए वे अपनी बही में अंकित सभी प्राप्तियों एवं व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के बही में अंकित प्रविष्टियों से समाशोधित किया जाना चाहिए।

यद्यपि विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार इंगित किया जाता है फिर भी नियंत्रक–अधिकारियों द्वारा असमाशोधन, वर्ष 2011–12 के दौरान भी बना रहा। यह देखा गया कि वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 22,444 करोड़ के प्राप्तियों के विरुद्ध कुल ₹ 9,822 करोड़ (44 प्रतिशत) का समाशोधन नहीं किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2011–12 के दौरान कुल व्यय ₹ 24,368 करोड़ में से 25 नियंत्रक– अधिकारियों द्वारा ₹ 20,101 करोड़ के व्यय का समाशोधन महालेखाकार (ले. एवं हक.) झारखण्ड के बही के साथ नहीं किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान, प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक कुल ₹ 16,038 करोड़ का असमाशोधित व्यय तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: नियंत्रक पदाधिकारियों की सूची जहाँ वर्ष 2011–12 के दौरान व्यय असमाशोधित रही (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक की राशि)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	नियंत्री पदाधिकारीगण / विभागों	असमाशोधित राशि
1	2	3
1	विधि सचिव	142.61
2	चुनावी आयुक्त	18.14
3	व्यावसायिक कर सचिव	40.15
4	वित्त राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव	2267.07
5	सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार बोर्ड	322.43
6	अपर सचिव गृह (पुलिस) आयुक्त, उत्तर छोटानगापुर मंडल हजारीबाग आयुक्त, दक्षिण छोटानगापुर मंडल	2203.57
7	गृह (कारा) महानिरीक्षक	10.35
8	वित्त सचिव	2296.68
9	उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	3980.56
10	उप-सचिव, उच्च शिक्षा	75.97
11	उप-सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा मामले	29.47
12	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	293.98
13	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	69.08
14	सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	264.56
15	सचिव, आवास (हाउसिंग)	23.11
16	सचिव, नगर विकास	182.90
17	सचिव, कल्याण, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण	577.01
18	श्रम आयुक्त, निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय	106.44
19	संयुक्त सचिव, प्राकृतिक आपदा	233.11
20	कृषि सचिव	600.61
21	रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, सहकारी	215.71
22	आयुक्त-सह-सचिव, ग्रामीण विकास	189.44
23	उप-सचिव, ग्रामीण विकास	232.83
24	निदेशक, पंचायती राज संस्थान	1581.15
25	उद्योग निदेशक	81.15
	कुल	16038.08

विभागीय आँकड़ों को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही से असमाशोधन के कारण प्राप्तियों एवं व्ययों के अशुद्ध वर्गीकरण के संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।

2.6 लघु शीर्ष '800—अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रावधान

लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय उन कार्यक्रमों के प्रावधान/व्यय को अन्तर्विष्ट करती है जिसे उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्य वित्त 2011–12 में, ₹ 336.42 करोड़ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 23 प्रमुख शीर्षों के तहत लघु शीर्ष 800—अन्य व्यय में उपलब्ध कराया गया जिसे बजट में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इन कार्यक्रमों को उपयुक्त लघु शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। विवरण परिशिष्ट 2.10 में दिया गया है।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 9,998.50 करोड़ की विशाल बचत हुई जो अनुचित बजट आकलन को इंगित करती है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अन्तर्गत विशाल बचतें राज्य में विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 420.16 करोड़ उपबंधों से अधिक व्यय हुए जिसे भारत के संविधान की धारा 205 के अनुसार नियमित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त 2001–2011 के दौरान ₹ 8,120.63 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित करना भी अभी शेष है। विगत पाँच वर्षों से सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से जुड़े 9 विभागों में निरंतर बचतें अंकित की गईं। 79 उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 3,252.83 करोड़ का अभ्यर्पण वर्ष के अंतिम दो दिनों में किया गया जिससे इन निधियों का अन्य विकासपरक उद्देश्यों पर व्यय करने का अवसर नहीं रहा। 16 शीर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में किया गया व्यय का वेग बजटीय एवं व्यय संबंधी नियंत्रणों को बाधित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागों के व्ययों (₹ 20,101 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 9,822 करोड़) का समाशोधन महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही के साथ नहीं किया गया।

2.8 अनुशंसाएँ

- सभी सरकारी विभागों में खासकर उन विभागों में, जिसमें निरंतर बचतें हुईं, बजटीय नियंत्रण सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में भारी व्यय से बचने के लिए उपयुक्त उपाय की जरूरत है।
- 2001–02 के दौरान हुए प्रावधानों से अधिक व्यय का नियमन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।
- नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों को प्रतिमाह महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बही के साथ समाशोधित करना चाहिए।